


# कार्यालय कलेक्टर, समग्र शिक्षा अभियान



## जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी

### जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई (DPMU) की बैठक दिनांक 28-01-2025

#### कार्यवाही विवरण


दिनांक 28/01/2025 को कलेक्टर, सह जिला मिशन संचालक महोदय जिला शिक्षा केन्द्र सिवनी की अध्यक्षता में जिला परियोजना प्रबंधन ईकाई (DPMU) की बैठक, कलेक्टर सभाकक्ष में दोपहर 3:00 बजे से आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, सहा. आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग, डाईट प्राचार्य, सहायक संचालक शिक्षा, सहायक संचालक जनजातीय कार्यविभाग, जिला परियोजना समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड अधिकारी, समस्त एपीसी जि.शि.केन्द्र, सहायक यंत्री, बीआरसीसी समस्त, बीएसी अकादमिक एवं निपुण प्रोफेशनल के द्वारा सहभागिता की गई। कलेक्टर महोदय के द्वारा निम्नानुसार बिन्दुओं पर समीक्षा किये जाकर समय-सीमा में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु सर्वसंबंधितों को निर्देशित किया गया :-

- यू-डाईस डाटाएंट्री डॉपबाक्स, स्कूल प्रोफाइल, शिक्षक प्रोफाइल एवं अपार आईडी जनरेट करने की प्रगति पर समीक्षा की गई। विकासखण्ड कुरई, सिवनी एवं लखनादौन के द्वारा अपार आईडी जनरेट करने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं निर्देशित किया आगामी 03 दिवस में कार्य पूर्ण कराया जावे तथा आगामी सप्ताह की टीएल बैठक में अपार आईडी की प्रगति की समीक्षा किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। (जबावदेही— जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग, जिला परियोजना समन्वयक, प्रोग्रामर, बीईओ, बीआरसीसी एवं एमआईएस क्वाडीनेटर समस्त)
- समस्त शासकीय प्राथ. विद्यालय में FLN की समय-सारणी का पालन किया जाकर एवं शिक्षक मार्गदर्शिका के अनुरूप अध्यापन कार्य सुनिश्चित किया जावे। (समय-सीमा – तत्काल) जबावदेही – संस्था प्रमुख शास. विद्यालय समस्त, जनशिक्षक, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी, बीआरसीसी, बीईओ, निपुण प्रोफेशनल, सहा.परियोजना समन्वयक अकादमिक, जिला परियोजना समन्वयक, सहा.आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग, जिला शिक्षा अधिकारी।
- प्रत्येक शासकीय विद्यालय में रीडिंग कार्नर स्थापित करते हुए पंजी संधारित किया जावे एवं कमशः रोटेशन अनुसार रीडिंग कार्नर में किताबे रखते हुए उपयोग सुनिश्चित करें। (समय-सीमा – तत्काल) जबावदेही – संस्था प्रमुख, जनशिक्षक, बीआरसीसी।
- समस्त मैटर्स प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य अनुसार मैटरिंग किया जाकर वास्तविक स्थिति मैटरिंग एप्प पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें एवं मैटरिंग का फीडबैक की साफ्ट कॉपी संबंधित शिक्षक/संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराते हुए हार्ड कॉपी नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें। (समय-सीमा – तत्काल) जबावदेही—जनशिक्षक, बीएसी, बोआरसीसी, एपीसी समस्त, जिला परियोजना समन्वयक।
- NAS परीक्षा मॉक टेस्ट विश्लेषण किया जाकर कमजोर प्रदर्शन वाले विकासखण्ड, जनशिक्षा केन्द्र एवं विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि जिन लर्निंग आउट कम्स मे छात्रों का प्रदर्शन कमजोर रहा है, उसके अनुरूप कार्ययोजना बनाकर अध्यापन कार्य कराया जावे। (समय-सीमा – तत्काल) जबावदेही – संस्था प्रमुख शास. विद्यालय समस्त, जनशिक्षक, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी, बीआरसीसी, बीईओ, निपुण प्रोफेशनल, सहा.परियोजना समन्वयक अकादमिक, जिला परियोजना समन्वयक, सहा.आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग, जिला शिक्षा अधिकारी।
- 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा हेतु पोर्टल पर शत्रुप्रतिशत छात्रों का पंजीयन किया जावे, 03 फरवरी 2025 के पूर्व परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाकर संबंधित विद्यालयों को पोर्टल पर मैप किया जावे। (समय-सीमा – तत्काल) जबावदेही – बीआरसीसी, प्रोग्रामर, सहा.परियोजना समन्वयक अकादमिक, जिला परियोजना समन्वयक,
- 5वीं एवं 8वीं, 10वीं, 12वीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी, रेमिडियल कक्षाओं के संचालन की स्थिति, की समीक्षा की गई। प्रतिदिन रेमिडियल कक्षाएं लगाये जाने हेतु एवं बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, जिला/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को रेमिडियल कक्षाओं की मॉनीटरिंग, वार्षिक परीक्षा की मॉनीटरिंग नियमित रूप से किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। समय-सीमा – तत्काल) जबावदेही – संस्था प्रमुख शास. विद्यालय समस्त, जनशिक्षक, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी, बीआरसीसी,

बीईओ, निपुण प्रोफेशनल, सहा.परियोजना समन्वयक अकादमिक, जिला परियोजना समन्वयक, सहा.आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग, जिला शिक्षा अधिकारी।

- सभी विकासखण्डों के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखण्ड अंतर्गत प्रतिदिवस रेमिडियल कक्षाओं की मॉनीटरिंग करते हुये छात्र उपस्थिति, फोटोग्राफ वाहट्सअप ग्रुप में शेयर करेंगे। (समय—सीमा — तत्काल) जबावदेही — बीईओ, बीडीओ, सहा.आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग, जिला शिक्षा अधिकारी।
- कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शासकीय विद्यालयों में छात्र दर्ज संख्या, पदस्थ शिक्षक संख्या एवं वर्तमान में कौन सा शिक्षक कहाँ पर कार्यरत है, इस आशय की सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। (समय—सीमा — 5 फरवरी 2025) जबावदेही — सहा.आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग, जिला शिक्षा अधिकारी।
- फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्राथमिक कक्षाओं का आवधिक ऑकलन कराया जाना है, इस हेतु आवश्यक तैयारी तत्काल सुनिश्चित की जावे। समय—सीमा — तत्काल) जबावदेही — बीआरसीसी, बीईओ, परीक्षा प्रभारी जिला शिक्षा केन्द्र, निपुण प्रोफेशनल, सहा.परियोजना समन्वयक अकादमिक, जिला परियोजना समन्वयक, सहा.आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग, जिला शिक्षा अधिकारी।
- सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के चिन्हांकन/प्रोफाइल अपडेशन की समीक्षा करते हुये लक्ष्य अनुसार पात्र बच्चों के प्रोफाइल अपडेशन की कार्यवाही किये जाने, हेतु निर्देशित किया गया। (समय—सीमा — तत्काल) जबावदेही — मोबाइल स्ट्रोत सलाहकार, बीआरसीसी, बीईओ, एपीसी आईईडी।
- समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित समस्त छात्रावासों संचालन शासन के नियमानुसार किया जावे एवं बच्चों को वार्षिक परीक्षा में शतप्रतिशत सफलता हेतु अतिरिक्त अध्यापन कार्य कराया जावे। (समय—सीमा — तत्काल) जबावदेही — समस्त छात्रावास वार्डन, बीआरसीसी, बीईओ, एपीसी आईईडी, एपीसी जेण्डर, एपीसी ईएण्डआर।
- सभी विकासखण्डों को सी.एम. हेल्पलाईन के सभी प्रकरणों का निराकरण समय—सीमा में किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। (समय—सीमा — तत्काल) जबावदेही — बीआरसीसी, बीईओ।

उपरोक्तानुसार सर्वसंबंधितों को समस्त कार्य समय—सीमा में किये जाने एवं आगामी समीक्षा बैठक में अपेक्षित प्रगति अनुसार जानकारी के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

  
जिला परियोजना समन्वयक  
जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी

सिवनी, दिनांक 30 / 01 / 2025

पृक / 1262A / जि.शि.के. / डीपीएमयू / समीक्षा बैठक / 2025

प्रतिलिपि—:

1. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, सह—जिला मिशन संचालक जिला सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह जिला परियोजना संचालक जिला सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी / प्राचार्य डाईट / सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग जिला सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / विकासखण्ड अधिकारी समस्त जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. एपीसी, बीआरसीसी, बीएसी समस्त जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. संकुल प्राचार्य / जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी / जनशिक्षक समस्त जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. समस्त छात्रावास वार्डन / सहा.वार्डन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. संबंधित संस्था प्रमुख शास. / अशास. विद्यालय समस्त जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
जिला परियोजना समन्वयक  
जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी